संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ रायपुर

चतुर्थ तल, डी ब्लाक, इन्द्रावती भवन नया रायपुर
(Phone : 0771-2235828 E-Mail : technicalcell2011@gmail.com)

क. /यां.प्र./2016/ रायपुर, दिनांक /05/16

प्रति

महाप्रबंधक
छत्तीसगढ़ संवाद
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– **नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु सलाहकार नियुक्त करने EOI बाबत् ।**

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत निविदा आमंत्रण सूचना प्रारूप संलग्न कर लेख है कि कृपया बहुप्रसारित हिन्दी एवं अंग्रजी के दैनिक समाचार पत्रों में एक दिवस हेतु प्रकाशित करने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

अपर संचालक
संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास
छत्तीसगढ़, नया रायपुर

पृ.क. /यां.प्र. /2016/3905 रायपुर, दिनांक 07/05/16

प्रतिलिपि :–

1. श्री तोरण शर्मा, प्रोग्रामर, डाटा सेंटर संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास रायपुर। संलग्न आरएफपी विभाग की वेबसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें।
2. प्रभारी अधिकारी, चिप्स, रायपुर। कृपया संलग्न आरएफपी शासन की वेबसाईट Cgstate.gov.in में अपलोड करने का कष्ट करें।

अपर संचालक
संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास
छत्तीसगढ़, नया रायपुर

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास
छत्तीसगढ़ नया रायपुर

चतुर्थ तल, डी ब्लाक, इन्द्रावती भवन नया रायपुर
(Phone : 0771-2235828 E-Mail : technicalcell2011@gmail.com)

क. /यां.प्र./SWM/ 2016/3904 रायपुर, दिनांक 07/05/2016

नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन हेतु सलाहकार नियुक्त करने बाबत् EOI

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा विभिन्न नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायतों में कचरा संग्रहण पश्चात् अंबिकापुर मॉडल के अनुरूप निष्पादन कर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य कराने व सम्पूर्ण योजना को लागू करने एवं प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वयन कराने हेतु नगरीय निकायों के सहायतार्थ पात्र व्यक्ति की सेवायें सलाहकार के रूप में एक वर्ष हेतु प्राप्त की जानी है।

1. इस कार्य हेतु तीन लिफाफा पद्धति से EOI दिनांक 27.05.2016 दोपहर 15:30 तक संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, इन्द्रावती भवन, चतुर्थ तल, नया रायपुर, छ.ग. में रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित की जाती है, जो कि उसी दिवस सायं काल 16:30 को उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जावेगी।
2. सलाहकार हेतु आवश्यक आर्हताएं:–
    1) सलाहकार कोई व्यक्ति या फर्म या कंपनी हो सकता है।
    2) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की ग्रीन पद्धति (अर्थात् जिसमें संपूर्ण अपशिष्ट का उपयोग हो और ट्रेंचिंग ग्राउंड की आवश्यकता ही न हो) के क्षेत्र में सलाहकार का स्थापित ट्रैक रिकार्ड होना चाहिए।
    3) सलाहकार को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की तकनीकी जानकारी के साथ इस कार्य से जुडने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का अनुभव भी होना चाहिए।
    4) सलाहकार द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का कार्य कम से कम 2 शहरों में (जिसमें से एक शहर छत्तीसगढ़ प्रदेश का हो) करने का अनुभव होना चाहिए।
3. सलाहकार से अपेक्षित कार्य:–
    1) अंबिकापुर मॉडल (राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा यथा परिभाषित) के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था स्थापित करना।

2) उपरोक्त कार्य की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालते हुए निम्नलिखित कार्य करनाः–

(क) कचरा संग्रहण पश्चात् इसमें सम्मिलित पदार्थो को Segregation पश्चात् किस प्रकार निष्पादन किया जावेगा ताकि आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके, इसके लिये विस्तृत कार्य योजना तैयार की जानी है।

(ख) नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य हेतु पृथक–पृथक अथवा निकायों के समूह तैयार कर "मास्टर ट्रेनर्स" तैयार किये जाने है जो अपने निर्धारित क्षेत्र में योजना के क्रियान्वयन हेतु संलग्न कर्मचारियों को प्रशिक्षण देंगे।

(ग) निकायों में चयनित महिला समूहों को मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करना। (प्रशिक्षण का व्यय निकाय द्वारा वहन किया जावेगा)

(घ) शहर में निकाय द्वारा आव यक संख्या में कार्यशाला (SLRM Centre) के निर्माण हेतु तकनीकी मार्गदर्शन एवं डिजाइन उपलब्ध कराना।

(ङ) शहर में कार्यरत कबाड व्यवसायियों को योजना में शामिल करने प्रशिक्षण प्रदान करना।

(च) उपरोक्त कार्य सुचारू ढंग से संचालित करने महिला समूहों एवं अन्य संबंधितो को रिकार्ड संधारण करने का प्रशिक्षण देना।

(छ) अन्य कोई कार्य जो उपरोक्त कार्यो से संबंधित हो, करना।

4. सेवा की समय–सीमाः– सलाहकार व्यक्ति की सेवायें संबंधित निकाय द्वारा एक वर्ष हेतु ली जावेगी व इस अवधि को आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकेगा।

5. सलाहकार व्यक्ति को प्रत्येक माह में न्यूनतम दो भ्रमण कार्यक्रम रखना होगा जो कि विभाग/निकाय एवं सलाहकार द्वारा आपस में चर्चा कर तय किया जावेगा।

6. भ्रमण कार्यक्रम हेतु निम्नानुसार यात्रा भत्ता आदि का भुगतान किया जावेगाः–

(1) हवाई मार्ग हेतु एकानामी श्रेणी, रेलमार्ग हेतु एसी – 2 व सड़क मार्ग हेतु बस/टेक्सी का वास्तविक किराया, बिल प्रस्तुत करने पर, आने एवं जाने का प्रदान किया जावेगा।

(2) भ्रमण के दौरान प्रति दिवस बोर्डिंग आदि हेतु 1000/–रू. देय होगा परन्तु रात्रि विश्राम हेतु कोई राशि देय नहीं होगी।

(3) आने जाने का किराया एवं समस्त मानदेय केवल एक व्यक्ति के लिये देय होगा।

आवश्यक होने पर सलाहकार व विभाग/निकाय द्वारा आपस में चर्चा कर किसी माह में एक अतिरिक्त भ्रमण कार्यक्रम रखा जा सकता है, परन्तु पूरे अनुबंध अवधि 12 माह में यह चार बार से अधिक के लिये मान्य नहीं होगा अर्थात् अनुबंध अवधि 12 माह में न्यूनतम भ्रमण 12 व अधिकतम भ्रमण 16 होगा।

7. अनुबंध तथा भुगतानः– चयनित सलाहकार को राज्य शहरी विकास अभिकरण के साथ चयन की सूचना के एक माह की समयावधि में अनुबंध निष्पादित करना होगा। अनुबंध तथा इसके अनुसार कार्य से संबंधित समस्त देयको का भुगतान राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा किया जावेगा।

8. EOI तीन लिफाफा पद्धति से आमंत्रित किया जाता है।

(1) लिफाफा ''अ'' – लिफाफा अ में अमानत राशि 25,000/– रू. (पच्चास हजार रू.) का FDR संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास रायपुर के नाम से।

(2) लिफाफा ''ब'' – (i) पेन कार्ड की सत्यापित प्रति। (ii) पासपोर्ट की सत्यापित प्रति (iii) वर्ष 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 का आयकर विवरणी। (iv) कार्य अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति। (v) कार्य अनुभव अंतर्गत जिन पांच स्थानीय निकायों में कार्य किया जा रहा है, वहां का नवीनतम फोटोग्राफ व सी.डी. जो सम्पूर्ण कार्य पद्धति को स्पष्ट करता हो। (vi) विभिन्न निकायों हेतु कार्य योजना तैयार करने बाबत प्रेजेंटेशन।

(3) लिफाफा ''द'' – वित्तीय ऑफर अन्तर्गत सलाहकार को प्रति माह भुगतान की जाने वाली मानदेय की राशि का प्रस्ताव देना होगा। सर्विस चार्ज पृथक से सलाहकार को देय होगा।

9. वित्तीय ऑफर में स्वीकृत मासिक राशि में से 25 प्रतिशत राशि प्रति माह रोकी जावेगी जो तीन माह पश्चात् कार्य संतोषजनक होने पर वापस कर दी जावेगी।

10. कार्य असंतोषप्रद होने पर विभाग द्वारा सलाहकार को 30 दिवस का प्रथम नोटिस दिया जावेगा एवं आवश्यक सुधार नहीं किये जाने पर 7 दिवस का द्वितीय नोटिस दिया जावेगा, इसके पश्चात् भी निर्देशों का पालन नहीं करने पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा तथा रोकी गई 25 प्रतिशत मासिक राशि व अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।

11. अनुबंध अवधि समाप्ति के पूर्व सलाहकार द्वारा अपनी ओर से अनुबंध समाप्त नहीं किया जा सकता, बशर्ते विभाग/निकाय द्वारा उसे आवश्यक राशि का नियमित भुगतान किया जा रहा हो।

12. आवश्यक भुगतान प्राप्त करने हेतु यात्रा भत्ता किराया की टिकट आदि सहित प्रतिमाह, सलाहकार को बिल प्रस्तुत करना होगा व बिल प्राप्त होने के एक सप्ताह पश्चात् भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।

13. सलाहकार का चयन तकनीकी योग्यता/कार्यअनुभव/प्रेजेंटेशन एवं वित्तीय ऑफर को दृष्टिगत रखते हुये किया जावेगा, जिसमें 70 अंक तकनीकी योग्यता पर एवं 30 अंक वित्तिय ऑफर पर होगा। तकनीकी योग्यता के 70 अंक में से 30 अंक कार्यअनुभव पर, 25 अंक साक्षात्कार पर, व 15 अंक प्रेजेंटेशन पर होगा।

14. अन्य आवश्यक जानकारी संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रकोष्ठ से प्राप्त की जा सकती है।

05/03/16

संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
छत्तीसगढ़, नया रायपुर